भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/Allotment Section)

दूसरा तल , उत्तर स्कंध/2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई 400 094/ Mumbai 400 094.

सं.1/21/2000(A) / आबंटन (Allot) / 675 दिनांक 04 सितम्बर, 2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय:- केवल एकल शौचालय सुविधा वाले डीएई विभागीय क्वार्टरों में भारतीय वाटर क्लोसेट (आईडब्ल्यूसी) के स्थान पर यूरोपियन वाटर क्लोसेट (ईडब्ल्यूसी)/एंग्लो इंडियन वाटर क्लोसेट (एडब्ल्यूसी) की स्थापना के संबंध में।

Subject :- Installation of European Water Closet (EWC)/Anglo Indian Water Closet (AWC) in place of Indian Water Closet (IWC) in DAE Departmental Quarters having only single toilet facility – reg.

उपरोक्त विषय पर परिपत्र संख्या 1/21/2000/आबंटन (Allot)/591 दिनांक 02.05.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त परिपत्र के पैरा 2 (घ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

In partial modification of the Circular no.1/21/2000/(Allot)/591 dated 02.05.2025 on the above subject, Para 2 (d) of the said circular is amended as under :

पैरा सं Para no.	वर्तमान प्रावधान Existing Provision	संशोधन के अनुसार As amended
2(घ)	'ऐसे रूपांतरण की आवश्यकता वाले आबंटियों को भी अग्रिम रूप से यह घोषित करना होगा कि क्या वे वैकल्पिक शौचालय/शौचालय सुविधा के लिए स्वयं व्यवस्था करेंगे या संलग्न वचनबद्धता के माध्यम से 07 दिन के लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर अस्थायी आबंटन के लिए आवेदन करेंगे'।	'ऐसे रूपांतरण की आवश्यकता वाले आबंटियों को भी अग्रिम रूप से यह घोषित करना होगा कि क्या वे वैकल्पिक शौचालय/शौचालय सुविधा के लिए स्वयं व्यवस्था करेंगे या संलग्न वचनबद्धता के माध्यम से 07 दिनों के संबद्ध शुल्क का भुगतान पर अस्थायी आबंटन के लिए आवेदन करेंगे'।
2(d)	'Allottees requiring such conversion will also declare, in advance, if they will make their own arrangements for alternate washroom/toilet facility or apply for temporary allotment on payment of 07 days **License fee** by way of an attached undertaking'.	'Allottees requiring such conversion will also declare, in advance, if they will make their own arrangements for alternate washroom/toilet facility or apply for temporary allotment on payment of 07 days **Allied Charges** by way of an attached undertaking'.

3. यह इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in this Directorate.

आशा जैसन 4.9.2025
(आशा जैसन / Asha Jaison)
प्रशासनिक अधिकारी-III /Administrative Officer-III

प्रति / To

1. अध्यक्ष, जीबी, डीसीएसईएम / Chairman, GB, DCSEM
2. प्रमुख, इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग (ईएसडी) I, II और III / Head, Engineering Service Division (ESD) I, II and III
3. सभी रखरखाव इकाइयाँ - टीटीएम-I, टीटीएम-II, टीटीएम-III, केएमयू, टीटीएम-IV, ओल्ड मंडला, पश्चिमी क्षेत्र, एलजीआर और चेंबूर। / All Maintenance Unit – TTM-I, TTM-II, TTM-III, KMU, TTM-IV, Old Mandala, Western Sector, LGR and Chembur.
4. सदस्य सचिव, जीबी, डीसीएसईएम / Member Secretary, GB, DCSEM
5. डीसीएसईएम वेबसाइट पर / On DCSEM website.
6. डीएई निवास पर / On DAE Niwas.

संलग्न / Encl:-

(1) परिपत्र दिनांक 26/04/2024 / Circular dated 26/04/2024

(2) परिपत्र दिनांक 02/05/2025 / Circular dated 02/05/2025

(3) केवल एकल शौचालय वाले फ्लैटों में शौचालय को आईडब्ल्यूसी से ईडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए आबंटी द्वारा किए गए अनुरोध एवं वचनबद्धता पर संशोधित रिक्त प्रपत्र

Revised Blank Form on 'Request & undertaking by the allottee for conversion of toilet from IWC to EWC in flats having single toilet only

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/Allotment Section)

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
2रा तल , उत्तरी स्कंध/ 2nd floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/ Mumbai - 400 094.
Tel:022-25487227/7275
E-mail: allot@dcsem.gov.in

सं No.1/21/2000(E1)/ 324

26 अप्रैल, 2024

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: विभागीय क्वार्टरों में इण्डीयन वाटर क्लोजेट (आईडब्ल्यूसी) के स्थान पर यूरोपीय वाटर क्लोजेट (ईडब्ल्यूसी) /एंग्लो इंडियन वाटर क्लोजेट (एडब्ल्यूसी)के संस्थापनसे संबंधित।

Sub :- Installation of European Water Closet (EWC)/ Anglo Indian Water Closet (AWC) in place of Indian Water Closet (IWC) in Departmental Quarters – reg.

आवंटियों से IWC/EWC को EWC में बदलने के अनुरोध पर विचार करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया गया है:-

It has been decided to adhere to the following guideline while considering the request for conversion of IWC/AWC to EWC from allottees:-

a. IWC और EWC या दोनों EWC वाले गैर-नवीनीकृत फ्लैट: - **असंस्तुत**
Non-renovated flat having both IWC and EWC or both EWC :-Not Recommended

b. पुरानी बिल्डिंग में केवल IWC सहित गैर- नवीनीकृत फ्लैट: **संस्तुत**
(नवीनीकरण के समय बिना भूले परिवर्तित किया जाना है)
Non renovated flat with only IWC in old building :-Recommended-(to be converted by default at the time of renovation)

c. नवनिर्मित भवन में केवल IWC वाला फ्लैट: - असंस्तुत - (अगले आदेश तक इसका पालन किया जाएगा)
Flat with only IWC in newly constructed building :-Not Recommended –(to be followed until further orders)

d. IWC और EWC या दोनों EWC के साथ नवीनीकृत फ्लैट: -**असंस्तुत**
Renovated flat with both IWC and EWC or both EWC :-Not Recommended

e. केवल IWC सहित नवीनीकृत फ्लैट:- नवीकरण के 5 वर्षों के भीतर **असंस्तुत** अन्यथा **संस्तुत**
Renovated flat with only IWC :-Not Recommended within 5 years of renovation otherwise recommended

f. AWC सहित फ्लैट - नवीनीकरण के समय EWC में परिवर्तित किया जाना है
Flat with AWC – to be converted to EWC at the time of renovation

g. किसी भी श्रेणी के फ्लैट में, चाहे वह नवीनीकृत हो या नहीं, मौजूदा AWC या EWC को IWC में बदलने की **सिफ़ारिश नहीं/अनुशंसा नहीं** की जाती है।
In any category of flat, renovated or not, conversion of existing AWC or EWC to IWC is **not recommended.**

2. अब से विषय वस्तु पर सभी अनुरोधों (मौजूदा और ताजा) को संबंधित रखरखाव इकाई (टीटीएम) द्वारा शासी निकाय, निसेसंप्रनि की मंजूरी के साथ उपरोक्त दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए निपटाया जाएगा।

किसी भी आवंटी द्वारा IWC को EWC/AWC और इसके विपरीत में बदलने को आवंटन नियमों के अनुसार गंभीरता से लिया जाएगा।

Henceforth all the requests (existing as well as fresh) on the subject matter will be dealt with by the concerned Maintenance Unit (TTM), considering above guidelines with approval of Governing Body, DCSEM.

The conversion of IWC to EWC/AWC and vice versa by any allottee's themselves shall be viewed seriously as per Allotment Rules.

3. यह निसेसंप्रनि के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है

This issues with the approval of competent authority of DCSEM.

आशा जैसन 26.4.24
(आशा जैसन Asha Jaison)
मुख्य प्रशासन अधकिारी Chief Administrative Officer

प्रति To

1. प्रधान, अभियांत्रिकी सेवा प्रभाग (ईएसडी) I, II और III
Head, Engineering Service Division (ESD) I, II and III
2. सभी अनुरक्षण युनिट - TTM-I, TTM-II, TTM-III, KMU, TTM-IV, ओल्ड मंडाला, वेस्टर्न सेक्टर, LGR और चेंबूर।
All Maintenance Unit – TTM-I, TTM-II, TTM-III, KMU, TTM-IV, Old Mandala, Western Sector, LGR and Chembur.
3. निसेसंप्रनि वेबसाइट On DCSEM website
4. डीएई निवास On DAE Niwas.

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/Allotment Section)

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूसरा तल , उत्तर स्कंध/2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई 400 094/ Mumbai 400 094.

निसेसंप्रननि 1/21/2000/ आबंटन (Allot)/ 591 दिनांक /Date:02/05/2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय:- केवल एकल शौचालय सुविधा वाले डीएई विभागीय निवासस्थानों में भारतीय वाटर क्लोसेट (आईडब्ल्यूसी) के स्थान पर यूरोपियन वाटर क्लोसेट (ईडब्ल्यूसी)/एंग्लो इंडियन वाटर क्लोसेट (एडब्ल्यूसी) की संस्थापित करने के संबंध में।

Subject :- Installation of European Water Closet (EWC)/Anglo Indian Water Closet (AWC) in place of Indian Water Closet (IWC) in DAE Departmental Quarters having only single toilet facility – reg.

डीएई विभागीय निवासस्थानों में आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (प्रतिलिपि संलग्न) परिपत्र संख्या 1/21/2000(ई1)/324 दिनांक 26 अप्रैल 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गई है और इसे आज तक लागू किया जा रहा है।

A Standard Operating Procedure (SOP) on conversion of IWC to EWC in DAE Departmental Quarters (copy enclosed) has been published vide Circular No.1/21/2000(E1)/324 dated 26th April 2024 and the same is being implemented till date.

2. आबंटियों/परिवार के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली चिकित्सा स्थितियों के आधार पर ईडब्ल्यूसी परिवर्तन की बढ़ती मांग के कारण, इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी ने निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त एसओपी को निम्नानुसार संशोधित किया है।

2. Due to an increasing demand for EWC conversion on account of medical conditions faced by allottees / family members, the Competent Authority in this Directorate has modified the said SOP as under, to benefit the residents.

(ए) आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में बदलने के अनुरोध की जांच सबसे पहले संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा परिपत्र दिनांक 26.4.2024 में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

(a) The request for conversion of IWC to EWC will first be examined by the concerned maintenance unit with respect to criteria specified in Circular dated 26.4.2024.

(ख) यदि अनुरोध निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आता है, तो निदेशालय द्वारा बिना किसी शुल्क के परिवर्तन किया जाएगा।

(b) If the request is falling within the set criteria, the conversion will be made by the Directorate without levy of any charges.

(ग) तथापि, यदि अनुरोध परिपत्र दिनांक 26.4.2024 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नहीं है, तो सीएचएसएस धारकों के लिए बीएआरसी के चिकित्सा प्रभाग के प्रमुख और गैर सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रमाणन के बाद ही अनुरक्षण इकाई द्वारा परिवर्तन के लिए दी गई अनुमानित लागत का वहन आवंटी को करना होगा।

(c) However, if the request is not within the criteria specified in Circular dated 26.4.2024, the allottee will be required to bear the cost of conversion estimated by the maintenance unit, only upon certification by Head, Medical Division, BARC for CHSS holders and Specialist doctors for non CHSS beneficiaries.

(घ) ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता वाले आवंटी को पहले से यह भी घोषित करना होगा कि क्या वे वैकल्पिक शौचालय/शौचालय सुविधा के लिए स्वयं व्यवस्था करेंगे या संलग्न वचनबद्धता के माध्यम से 07 दिनों के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अस्थायी आवंटन के लिए आवेदन करेंगे।

(d) Allottees requiring such conversion will also declare, in advance, if they will make their own arrangements for alternate washroom/toilet facility or apply for temporary allotment on payment of 07 days License Fee by way of an attached undertaking.

3. इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सूचना के लिए अपने अधिकारियों के बीच इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करें।

3. Administrative Head of Units are requested to give wide publicity to this Circular among its officials for information.

4. यह निसेसंप्रनि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

4. This issues with the approval of Competent Authority in DCSEM.

संलग्न Encl:-

(1) परिपत्र Circular दिनांक dated 26/4/2024

(2) आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में बदलने के लिए 'अनुरोध और वचनबद्धता' पर खाली फॉर्म।
Blank Form on 'Request & Undertaking' for conversion of IWC to EWC'.

आशा जैसन 2.5.2025

((आशा जैसन / Asha Jaison))
प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer - III (संपदा प्रबंध EM)

प्रति / To

1. प्रधान, अभियांत्रिकी सेवा प्रभाग (ईएसडी) I, II और III
Head, Engineering Service Division (ESD) I, II and III
2. सभी अनुक्षण यूनिट – TTM-I, TTM-II, TTM-III, KMU, TTM-IV, ओल्ड मंडाला, वेस्टर्न सेक्टर, LGR और चेम्बूर।
3. All maintenance Unit – TTM-I, TTM-II, TTM-III, KMU, TTM-IV, Old Mandala, Western Sector, LGR and Chembur.
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट On DCSEM website.
5. डीएई निवास On DAE Niwas.

दिनांकः

शौचालय में आईडबल्युसी से ईडबल्युसी में परिवर्तन कार्य के लिए आबंटी द्वारा अनुरोध और वचनबद्धता

REQUEST & UNDERTAKING BY THE ALLOTEE FOR CONVERSION OF TOILET FROM IWC TO EWC IN FLATS HAVING SINGLE TOILET ONLY

मैं, ---------- [आबंटी का पूरा नाम], ---------- कर्मचारी संख्या, ----------पद, ----------प्रभाग----------युनिट ---------- ---------- फ्लैट संख्या (विवरण) का आबंटी हूं, इसके द्वारा निम्नलिखित अनुरोध, वचन और सहमति देता हूं:

I, ---------- [Full Name of Allottee], ---------- Employee Number, ---------- Designation, ---------- Division, ---------- Unit is allottee of Flat No----------, (Details) do hereby request, undertake and agree as follows:

1. मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि निसेसंप्रनिके परिपत्र सं 1/21/2000(E1)/324 दिनांकित 26.04.2024 के तहत जारी एसओपी के अनुसार योग्य पाया जाए तो आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी मेंपरिवर्तित कर दिया जाए।

 I am requesting to convert the IWC into EWC, if found eligible as per SOP of DCSEM issued vide circular no.1/21/2000(E1)/324 dated 26.04.2024.

2. यदि रूपांतरण के लिए मेरा अनुरोध निसेसंप्रनि के मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो मैं अनुरक्षण इकाई द्वारा परिवर्तन कार्य के अनुमानित शुल्क को निसेसंप्रनि खाते में अग्रिम रूप से जमा करने का वचन देता हूँ।किए गए भुगतान की रसीद संबंधित अनुरक्षण इकाई को प्रस्तुत की जाएगी। यह परिवर्तन कार्य केवल भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, अस्पताल / विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर किया जाएगा।

 If my request for conversion is not as per the existing SOP of DCSEM, I undertake to deposit charges of conversion work as estimated by Maintenance Unit in advance to DCSEM Account. The receipt of payment made shall be produced to Maintenance Unit Concerned. This conversion work would be carried out against the advice of BARC Hospital/Specialist Doctor only.

3. शौचालय परिवर्तन कार्य के लिए विभाग द्वारा पूर्व में दी गई नियुक्ति का मैं सहयोग करूंगा तथा उसका पालन करूंगा।

 I will cooperate and adhere with the appointment given in advance by Department for toilet conversion work.

4. कार्य की प्रगति के दौरान, मैं या मेरे परिवार के सदस्य श्रमिकों पर नजर रखेंगे ताकि श्रमिक/श्रमिकों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत से बचा जा सके।

 During the progress of the work, I or my family members will have a watch on the workers so as to avoid any complaint whatsoever against the worker(s).

5. मैं यह भी वचन दे रहा हूं कि निचली मंजिल के फ्लैट में रिसाव/सीपेज को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो निसेसंप्रनि स्टाफ / ठेका एजेंसी को निरीक्षण करने और तत्काल सुधार कार्य करने के लिए मैं सहयोग प्रदान करूंगा।

 I am also giving undertaking to provide access to DCSEM staff/Contract Agency to inspect & to carry out any rectification works immediately, if required to stop seepage/leakage in the lower floor flat.

6. कार्य पूरा होने पर, मैं संबंधित प्राधिकारी को निरीक्षण की अनुमति दूँगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य विनिर्देशों के अनुसार पूरा किया गया है।

 Upon completion of the work, I will allow inspection by the concerned authority to ensure that the work has been done as per specifications.

7. साइट की स्थिति के आधार पर आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने का अधिकार निसेसंप्रनिके पास है।

 DCSEM reserves the right to convert IWC to EWC depending on site condition.

8. (ए) यह समझा जाता है कि इस कार्य को पूरा होने में 7 दिन तक का समय लग सकता है, इस अवधि के दौरान, मैं किसी भी वैकल्पिक शौचालय/फ्लैट की मांग नहीं करूंगा । दूसरे शब्दों में, मैं अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए इसका प्रबंधन स्वयं करूंगा तथा संबद्ध शुल्क के भुगतान पर शौचालय का उपयोग करने के लिए फ्लैट के अस्थायी आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

8. (A) It is understood that this work may take up to 7 days to complete, during this period, I will make my own arrangement for alternate toilet/flat. In other words, I will manage this on my own and do not require temporary allotment of flat for using toilet on payment of allied charges.

अथवा OR

(बी) मुझे वैकल्पिक शौचालय सुविधा की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं आबंटन अनुभाग में शौचालय के उपयोग के लिए अस्थायी आधार पर केवल 7 दिनों के लिए लागू संबद्ध शुल्क के भुगतान पर उसी के आसपास अनुरक्षण के तहत फ्लैट आबंटित करने के लिए आवेदन करूंगा, भले ही शौचालय संबंधी कार्य पूरा करने में कितने भी दिन लगें।उपरोक्त फ्लैट का आबंटन प्रबंध निदेशालय, निसेसंप्रनि के विवेक पर होगा।

(B) I require alternate toilet facility for which I will apply to Allotment Section to allot an under maintenance flat on temporary basis in the same vicinity for use of toilet only on payment of applicable allied charges for 7 days irrespective of number of days taken for completion of toilet related work. The allotment of above flat will be at the discretion of Estate Management, DCSEM.

यह वचनबद्धता स्वैच्छिक रूप से तथा ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार दी गई है, तथा मैं इन शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ।

This undertaking is given voluntarily and in accordance with the terms and conditions mentioned above, and I agree to be bound by these conditions.

आबंटी के दिनांकित हस्ताक्षर :
Dated Signature of Allottee

आबंटी का विवरण : Details of Allottee

संलग्नक : **Attachments**:

चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
Medical certificate, if any

सेवा में / **To,**

प्रभारी, अनुरक्षण इकाइयाँ, निसेसंप्रनि
In-charge, Maintenance Unit,DCSEM

एसओपी के अनुसार, आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि यदि क्रम संख्या 8 (बी) के अनुसार शौचालय सुविधा के अस्थायी आवंटन के लिए संबद्ध शुल्क लिया जाए।

Meeting the SOP, no charges for conversion of IWC to EWC except the allied charges for temporary allotment of toilet facility if opted as per S. No. 8 (B).

एसओपी को पूरा न करने पर, मैं रखरखाव इकाई द्वारा तय किए गए आईडब्ल्यूसी को ईडब्ल्यूसी में बदलने के लिए शुल्क जमा करने का वचन देता हूं, जिसका भुगतान डीसीएसईएम खातों में अग्रिम रूप से किया जाएगा, इसके अलावा यदि क्रम संख्या 8 (बी) के अनुसार विकल्प चुना गया है तो शौचालय सुविधा के अस्थायी आबंटन के लिए संबद्ध शुल्क भी देना होगा।

Not meeting the SOP, I undertake to deposit the charges for conversion of IWC to EWC as decided by Maintenance Unit, to be paid in advance to DCSEM Accounts in addition to the allied charges for temporary allotment of toilet facility if opted as per S.no.8 (B).

यदि क्र.सं.8(बी) के अनुसार विकल्प चुना गया है तो शौचालय सुविधा के अस्थायी आबंटन के लिए एसओपी को पूरा नहीं करने और लाइसेंस शुल्क की स्थिति में रुपये. _____ की निधी डीसीएसईएम के खाते में जमा की जाएगी ।

Fund of Rs. ---------- to be deposited with DCSEM Accounts in case of not meeting the SOP and allied charges for temporary allotment of toilet facility if opted as per S.no.8(B).

(प्रभारी, रखरखाव इकाई) (In-Charge, Maintenance unit)

सेवा में To,
फ्लैट संख्या के आवंटी
Allottee of Flat No

:

:

:

मैं----------बिल्डिंग ---------में फ्लैट नंबर_____ के शौचालय / स्नानघरकाअस्थायीआबंटन स्वीकार करता हूं जिसके लिए मैंने रसीद क्रमांक..... दिनांक..... के अनुसार रु...../- (संबद्ध शुल्क) का शुल्क जमा कर दियाहै।

I accept temporary allotment of toilet/bathroom of flat No._____ in _____ building for which I have deposited the charges of Rs._____/ - (allied charges) vide receipt no._____ dated _____.

आई.डब्ल्यू.सी. से ई.डब्ल्यू.सी. रूपांतरण शुल्क (यदि लागू हो) निसेसंप्रनि के खाते में नकद रसीद संख्या_____ दिनांक_____ के माध्यम से जमा किया गया ।

IWC to EWC conversion charges (if applicable) is deposited to DCSEM vide cash receipt no._____ dated_____.

(आबंटी के दिनांकित हस्ताक्षर
Signature of Allottee)

सेवा में, / To,

प्रभारी अभियंता /प्रभारी -टीटीएम -I,II,III,IV,KMU, OMMU, वेस्टर्न सेक्टर , CMU/घाटकोपर, OYC,LGR,वेस्टर्न सेक्टर, मुलुंड एम.यूनिट

EIC/IC -TTM-I, II, III, IV, KMU, OMMU, Western Sector, CMU/Ghatkopar, OYC,LGR, Western Sector, Mulund M. Unit.